

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या- २२७ /2020, दिनांक 31.07.2020

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, द्वारा जारी पत्र संख्या-1298/LXXXVII-CPC/e-Courts Allahabad dated 28-07-2020 कन्टेनमेन्ट जोन या माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e-Courts Allahabad dated 03-06-2020 में दिये गये निर्देश के बिन्दु संख्या-14 या बिन्दु संख्या-15 के अर्न्तगत अधीनस्थ न्यायालय को बन्द किये जाने पर न्यायालयों के संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं जो जनपद न्यायालय, सुलतानपुर मे दिनांक-03-08-2020 से प्रभावी होंगे।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के माध्यम से निर्गत नवीन दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस न्यायिक अधिष्ठान के मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले तथा विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले निम्न न्यायालयों द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायिक कार्य संचालित किया जायेगा :-

- 1- सत्र न्यायालय।
- 2- सभी विशेष न्यायालय।
- 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
- 4- सिविल जज (प्रवर खण्ड)।
- 5- सिविल जज (अवर खण्ड)।
- 2- कन्टेनमेन्ट जोन की अवधि में पीठासीन अधिकारीगण द्वारा निम्न मामले सुने व निस्तारित किये जायेंगे:-
  - ए- लम्बित/नये जमानत।
  - बी- लम्बित/नये अग्रिम जमानत।
  - सी- प्रकीर्ण आवश्यक फौजदारी प्रार्थना पत्र का निस्तारण।
  - डी- आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्र जैसे अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण।
  - ई- विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य/रिमाण्ड कार्य।
  - एफ- ऐसे अन्य मामले जिनको जनपद न्यायाधीश सुनवाई के लिये उचित समझे।
- 3- जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में पूर्व में अधिकृत ई-मेल आई0 डी0- dcsultanpur@gmail.com. का प्रयोग जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने के लिये किया जायेगा।
- 4- विद्वान अधिवक्तागण/वादकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे ई-मेल के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता/वादकारी का मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई0डी0 सहित विस्तृत विवरण अवश्य अंकित करेंगे।
- 5- कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्रों को डाउनलोड किया जायेगा और उसकी एक कम्प्यूटर जनित आवश्यक सूची तैयार की जायेगी।
- 6- कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सर्वप्रथम ऐसे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को सी0आई0एस0 पर पंजीकृत किया जायेगा। प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जायेगा।
- 7- ऐसे मामले जिनमें कोई त्रुटि न हो उन्हें 48 घन्टे के पश्चात या नियमानुसार सुनवाई हेतु काजलिस्ट (सी0आई0एस0 जनित) में अंकित किया जायेगा।

- 8- उक्त सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त उल्लिखित आवश्यक प्रार्थना पत्रों को सी0आई0एस0 पर सुनवाई हेतु नियत करेंगे तथा अन्य वादों में नियमानुसार सामान्य तिथि नियत करेंगे।
- 9- सिस्टम ऑफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे वादों को सी0आई0एस0 पर अपडेट करेंगे तथा उक्त सभी संचालित न्यायालयों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संचालन करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 10- सिस्टम ऑफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसे प्राप्त जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की प्रति अभियोजन अधिकारी/ जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को उसी दिन जरिये ई-मेल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 11- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अधिवक्तागण तथा वादकारियों की सहायता के लिये जनपद न्यायालय सुलतानपुर हेतु हेल्प लाईन नम्बर **-9451642491,7905173987** घोषित किया गया है जिसके माध्यम से ई-कोर्ट से सम्बन्धित तथा अन्य सूचनायें अधिवक्तागण एवं वादकारियों को प्रदान किया जाये। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर एवं सिस्टम ऑफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस हेल्प लाइन नम्बर को जनपद न्यायालय सुलतानपुर की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से जुड़ने की तकनीक की जानकारी सम्बन्धित न्यायालय के स्टाफ तथा सम्बन्धित अधिवक्ता/वादकारियों को भी प्रदान करेंगे।
- 12- न्यायिक अधिकारीगण द्वारा आवासीय कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायिक कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सम्पादित किया जायेगा। उन्हें ई-मेल के माध्यम से प्राप्त आवश्यक प्रार्थनापत्रों या लम्बित अभिलेख/प्रार्थनापत्रों को उनके न्यायालय के कर्मचारी द्वारा उनके आवास पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 13- सभी सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण द्वारा न्यायालय की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु JITSI Video Conferencing Software का प्रयोग किया जायेगा।
- 14- सभी सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से जुड़ने हेतु अपने अपने न्यायालयों के लिंक, सम्बन्धित अधिवक्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल एवं फौजदारी एवं अभियोजन अधिकारी से साझा करेंगे।
- 15- अभियोजन अधिकारी तथा अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया जाता है कि वे आपस में आवश्यक समन्वय स्थापित कर न्यायिक कार्य के सम्पादन हेतु अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
- 16- समस्त पीठासीन अधिकारी उपरोक्त प्रकार के प्रार्थनापत्रों/ वादों के निस्तारण के समय सभी विहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 17- सत्र न्यायालयों के विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य/ रिमाण्ड कार्य वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से करने हेतु श्रीमती पुष्पा सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश(पाक्सो ऐक्ट), कक्ष संख्या-14, सुलतानपुर को नामित किया जाता है। साथ ही वह विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित बेल बाण्ड का सत्यापन, अवमुक्त आदेश एवं अन्य आवश्यक कार्यों का सम्पादन भी करेगी।
- 18- प्रशासनिक अधिकारी एवं केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में न्यायिक प्रक्रिया के वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये संचालन हेतु

कम से कम कर्मचारियों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

19- ऐसे न्यायिक अधिकारीगण जिनका आवास कन्टेन्मेन्ट जोन में आ रहा हो वह नियत दिनांक से पूर्व सांयकाल तक प्रशासनिक कार्यालय में इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

20- सिस्टम ऑफिसर इस आदेश को जनपद न्यायालय सुलतानपुर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें, इसके साथ ही आदेश की एक प्रति सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनसूचना अधिकारी प्रशासन कलेक्ट्रेट, सुलतानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाय कि वे न्यायालयों के संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

21- समस्त न्यायिक अधिकारीगण माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार, तथा राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर कोविड-19 वायरस के परिप्रेक्ष्य में जारी समस्त गाइडलाइन/ दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

22- माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विद्वान अधिवक्तागण/ वादकारियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है, सभी अनुपालन करेंगे।

23- उपरोक्त सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने न्यायालयों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, निस्तारित प्रार्थना पत्रों तथा शेष बचे प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित विवरण को प्रत्येक कार्य दिवस को समय 4.30 बजे तक केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर केन्द्र, सुलतानपुर में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे जिससे वांछित सूचना माननीय उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित की जा सके।

24- यह आदेश जिला न्यायालय परिसर के कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने की स्थिति तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1298/LXXXVII-CPC/e-Courts Allahabad dated 28-07-2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय में प्रवेश निषिद्ध होने तक लागू होगा।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश  
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी सुलतानपुर/अमेठी।
- 2- पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर/अमेठी।
- 3- अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
- 4- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी/सिविल।
- 5- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
- 6- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
- 7- बार एसोसिएशन कादीपुर।
- 8- बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
- 9- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- 10- सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

जनपद न्यायाधीश,  
सुलतानपुर।